कार्यालय जिला पंचायत, बिलासपुर (छ0ग0)

(जिला मिशन प्रबंधन इकाई, छ.ग.रा.ग्रा.आ.मि.-बिहान)
Ph: 07752-223993 E-mail_ zp-bilaspur.cg@nic.in/ Gmail- Dmmu.bilaspur@gmail

क्रमांक/ ADV/283/2026-ZP NRLM SEC BSP बिलासपुर, दिनांक 20-03-2026

//संविदा भर्ती विज्ञापन//

मिशन संचालक, SRLM विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. के पत्र File No. ESTB/1107/2025-Section CGSRLM नवा रायपुर, दिनांक 23.02.2026 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" अंतर्गत जिला बिलासपुर के जनपद पंचायत स्तर के कार्यालयों में रिक्त संविदा पद विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं क्षेत्रीय समन्वयक पदों में भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आनलाईन आवेदन वेबसाईट https://zillapanchayat.icccbilaspur.in/recruitment में आमंत्रित किये जाते है। पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	पदनाम	आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्त संविदा पदों का विवरण												कुल
		अनारक्षित			अ.पि.व.			अ.जा.			अ.ज.जा.			
		मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4
2	क्षेत्रीय समन्वयक	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3

संविदा से भरे जाने वाले पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू.में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निधारिण (कुल अंक 100) विवरण	अंक
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	39,875	शिक्षा- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि/द्विवर्षीय डिप्लोमा। अनुभव- स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखण्ड/क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 02 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/आजीविका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए।	35
				स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए।	20
				बारहवी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए।	15
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक।	10
				छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक।	5
				साक्षात्कार।	15
			शिक्षा- 1-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 2- मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर मं एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। अनुभव- स्नातक उपाधि उपरांत	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए।	35
				बारहवी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए।	20
				दसवी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए।	20

2	क्षेत्रीय समन्वयक	26,490	विकासखण्ड/क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 01 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/आजीविका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।	न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक।	10
				छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक।	5
				लिखित/कौशल परीक्षा	10

भर्ती के नियम एवं शर्तें:-

1. आवेदन सिर्फ **ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।** ऑनलाइन आवेदन के अलावा अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।
2. विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला बिलासपुर की वेबसाईट www.bilaspur.gov.in में अवलोकन किया जा सकता है।
3. ऑनलाइन आवेदन करने हेतु दिनांक 23.03.2026 से वेबसाईट https://zillapanchayat.icccbilaspur.in/recruitment में दिनांक 06.04.2026 को सायं 05:30 बजे तक खुले रहेंगे।
4. रिक्त पदों के लिये पदवार अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
5. सभी पदों के लिये छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेगा।
7. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष | सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गो के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जायेगी।
8. विज्ञापन में पदवार जिले का आरक्षण रोस्टर लागू होगा। जिला नियुक्ति के पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर से करने के पश्चात ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
9. ऑनलाइन में प्रविष्ट की गई सभी जानकारी की दस्तावेज/प्रमाण पत्र/ अंकसूची आदि को अधिकतम 04 MB साईज में स्केन कर पी.डी.एफ. फार्मेट अपलोड करें एवं साक्षात्कार के दौरान मूल प्रति के साथ-साथ छायाप्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ- 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।
11. संविदा अवधि में छत्तीसगढ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
12. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता , कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appriasal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों के सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
13. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
14. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
15. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा अधिकारी 'कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नही होगी।

CamScanner

16. अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/आजीविका संबंधित क्षेत्र के प्रासंगिक अनुभव ही मान्य होंगे। पद से संबंधित प्रासंगिक अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।

17. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नम्बर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा- जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही गैर-शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 03 माह का प्रमाणित पे-स्लीप/बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय समिति के पास होगा।

18. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यानुभव रखने वाले अमले को अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक प्रदाय किया जावेगा।

19. शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव के अंक के आधार पर प्रथमयता पात्र आवेदक दस्तावेज परीक्षण के दौरान ऑनलाइन में प्रविष्ट की गई सभी जानकारी की दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अंकसूची आदि की मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

20. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वी में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

21. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी . जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।

22. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।

23. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नही होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

24. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नही दी जावेगी।

25. आवेदक जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो , नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

26. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नही होगा। ऐसे मामले मे शासन की अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

27. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।

28. दावा आपत्ति में केवल लिपीकीय त्रुटी का ही सुधार किया जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नही किए जायेगे।

29. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

30. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको

CS CamScanner

साक्षात्कार/लिखित/कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तदउपरांत साक्षात्कार/लिखित/ कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोडते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जायेगा।

31. शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं साक्षात्कार/लिखित/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। भविष्य में पद रिक्त होने पर उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा, जो कि अंतिम चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।

32. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर लिखित/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिये 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदको को आमंत्रित किया जायेगा।

33. उपरोक्त मांगी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर प्रक्रिया के दौरान/चयन पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

34. नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अंतिम सुनवाई व निर्णय का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास रहेगा।

35. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Sandeep Kumar Agrawal
Date: 20-03-2026
21:53:02

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बिलासपुर

CamScanner

ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत– बिलासपुर,
छत्तीसगढ़, पिन नं. 495001

स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नाम :– : ....
2. आवेदक का नाम :–अ. (हिन्दी में) : ....
ब. (अंग्रेजी में) : ....
3. लिंग :– (महिला/पुरूष/तृतीय लिंग) : ....
4. पिता/पति का नाम : ....
5. माता का नाम : ....
6. (अ) जन्मतिथिः– (अंकों में) : वर्ष .... माह .... दिनांक..................
(ब) आयु 01.01.2026 की स्थिति में : वर्ष .... माह .... दिन ....
(हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. जाति (अजा/अजजा/अ.पि.वर्ग/सामान्य) : ....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. छ.ग. के स्थायी स्थानीय निवासी है या नहीं (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें) : ....
9. क्या दिव्यांग श्रेणी के हैं : ....
9.1 दिव्यांगता का प्रतिशत एवं प्रकार : ....
9.2 भूतपूर्व सैनिक हां/नहीं : ....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. स्थायी निवास का पता : ....
: ....
: ....
11. पत्र व्यवहार का पता :– : ....
: ....
मोबाईल नं. : ....
ई–मेल (यदि हो) : ....
12. राष्ट्रीयता : ....
13. आधार नंबर : ....
14. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :– अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावें। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत/अधूरा भरा जाने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा।

क्र.	अर्हताएं	बोर्ड/विवि	डिग्री /डिप्लोमा	परीक्षा परिणाम			
				उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

CamScanner

15. संबंधित कार्यक्षेत्र में अनुभवः— पद अनुसार चाही गयी वांछित अनुभव का ही विवरण भरा जावें। निजी संस्था या अपूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त किया जावेगा।

क्र.	विभाग/संस्था	पद नाम	कार्य अवधि		
			कब से	कब तक	कुल अनुभव (माह में)
			कुल अनुभव		

16. क्या आप विवाहित है। (हां/नही) : ....

क. विवाहित होने पर विवाह की तिथि : ....

ख. परिवार के संतान का विवरण :

क्र.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म तिथि
1.			
2.			
3.			

17. संलग्न स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची :—

1. दसवी एवं बारहवी की अंकसूची 2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी सेमेस्टर/वर्षो का)
3. भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रमाण पत्र 4. संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाणपत्र
5. जाति प्रमाण पत्र स्थायी/सत्यापित 6. दिव्यांग प्रमाण पत्र जीवित 7. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
8. अनुभव/अन्य (अनिवार्य अनुभव हेतु सैलरी स्लीप/बैंक स्टेटमेंट।)

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नामः—..................................

—: घोषणा :—

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जाएंगे।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नामः—..................................

CS CamScanner